न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :–33/2021

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

धीरेन्द्र पुत्र सुरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निः 21 DOBD 'A'

.....प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण

1. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
2. श्री दिलीपसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

–:निर्णयः– **दिनांक :–**

यह वादपत्र राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चक 16 केएचएम के मु0नं0 220/20 के किला नं0 11 में 0.2276 अनकमाण्ड किला नं0 12 में 0.2529 अनकमाण्ड किला नं0 19 में 0.0126 अनकमाण्ड तथा किला नं0 20 में 0.0126 अनकमाण्ड रकबा कुल तादादी 0.5057 अनकमाण्ड रकबा में खातेदार श्रीमती रामेश्वरी पत्नी रामचन्द्र कौम बिश्नोई साकिन माडिया तहः नोखा जिला बीकानेर ने मौके पर पीओपी फैक्ट्री स्थापित कर रखी है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार उक्त भूमि काबिल काश्त हैं परन्तु वर्तमान में उक्त भूमि पर पीओपी फैक्ट्री स्थापित है। इस रकबे का रूपांतरण का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हैं। इसप्रकार अवैध पीओपी फैक्ट्री स्थापित करने से खातेदार द्वारा आवंटन की शर्तो को भंग किया गया है। अतः खातेदार को कृषि कार्य हेतु किया गया आवंटन निरस्त योग्य हैं। यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जावे। अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर अवैध पीओपी फैक्ट्री स्थापित कर अकृषिक कार्य किया है। अतः खातेदारी अप्रार्थी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा प्रार्थी सरकार को दिलाया जावे।

सर्वप्रथम वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 28.9.21 को शामिल पत्रावली की गई पटवारी रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी रामेश्वरी ने उक्त रकबा धीरेन्द्रसिंह पुत्र सुरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निः 21 DOBD 'A' को विक्रय कर दी है, इसलिए रामेश्वरी की जगह धीरेन्द्रसिंह को पक्षकार बनाया जाकर धीरेन्द्रसिंह के नाम तलबी नोटिस जारी हुवे। उक्त पटवारी रिपोर्ट को प्रदर्श – 1 पढ़ा गया। प्रतिवादी धीरेन्द्रसिंह ने दिनांक 22.03.22 को जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया । प्रतिवादी ने अपने जवाब में निवेदन किया है कि प्रतिवादी की कृषि भूमि चक 16 केएचएम के मु0नं0 220/20 में कुल 0.5057 है0 भूमि है। उक्त भूमि के किला नं0 11 में 0.10 बीघा अर्थात 0.1265 वर्गमीटर भूमि संपरिवर्तनशुदा है। जो कि दिनांक 11.09.2012 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के आदेश से संपरिवर्तन है। उक्त संपरिवर्तन आदेश को प्रदर्श–2 पढ़ा गया। जिसपर प्रतिवादी मौके पर बनी पी0ओ0पी0 फैक्ट्री को संचालित कर रहा है। उक्त भूमि औधोगिक प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन भूमि है। इसलिए वादी द्वारा निराधार व तथ्यहीन आधारो पर प्रस्तुत वाद खारिज योग्य है। किसी प्रकार का सर्वे किये बिना ही वाद प्रस्तुत किया गया है। इसकारण वादी द्वारा मनगढत व काल्पनिक तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत वाद को खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा रिकॉर्ड एवं वर्तमान मौका रिपोर्ट द्वारा पटवारी हल्का दंतौर दिनांक 07.0422 (प्रतिहस्ताक्षर तहसीलदार खाजूवाला) पेश की गई जिसे प्रदर्श – 3 पढ़ा गया। उक्त रिपोर्ट का सार है कि चक 16 केएचएम के मु0नं0 220/20 में किला नं0 11 में 10 बिस्वा भूमि पर पीओपी फैक्ट्री स्थापित है इसी मुरब्बे के किला नं0 11 में 8 बिस्वा, 12,19, 20 में 12 बिस्वा मौके पर खाली है। उक्त खाली भूमि पर वर्तमान में कोई गैरकृषि कार्य नहीं हो रहा है। उक्त मु0नं0 के किलानं0 1,10,11,20,21 में 2 बिस्वा रास्ता रिकॉर्ड अनुसार मौके पर चालू है। अतः तहसीलदार खाजूवाला द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीएक्ट व प्रतिवादी धीरेन्द्रसिंह द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर तनकीयात कायम की गई जो निम्नप्रकार हैः–

1 आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पीओपी फैक्ट्री स्थापित की गई है तथा भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे।

.....जिम्मे वादी

2 आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है। प्रतिवादी द्वारा सक्षम आदेश द्वारा ही पीओपी फैक्ट्री स्थापित की गई है, शेष भूमि पर अकृषि कार्य उपयोग में नहीं लिया जा रहा है। इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

.....जिम्मे प्रतिवादी

तनकीयात कायमी के पश्चात राजपैरोकार एवं अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा सीधे ही बहस का निवेदन किया गया। अतः बहस सुनी गई। बहस के पश्चात प्रतिवादी अधिवक्ता ने रजिस्ट्री दिनांक 14.7.14 एवं दिनांक 03.08.21 पेश की जिसको प्रदर्श–क्रमशः4 व 5 पढ़ा गया।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज, जवाबदावा मय शपथपत्र, मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार रिपोर्ट 07.04.22 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस उभयपक्ष पर मनन करने पर न्यायालय तनकीवार इस निष्कर्ष पर पहुॅचा है कि तनकी संख्या 1 (आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पीओपी फैक्ट्री स्थापित की गई है तथा भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे।) का भार जिम्मे वादी था जिसको मजबूत साक्ष्य सबूत दस्तावेज प्रस्तुत कर साबित करने में वादी/राजपैरोकार असफल रहा है। वही प्रतिवादी ने तनकी सं0 2 (आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है। प्रतिवादी द्वारा सक्षम आदेश द्वारा ही पीओपी फैक्ट्री स्थापित की गई है, शेष भूमि पर अकृषि कार्य उपयोग में नहीं लिया जा रहा है। इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे) जिम्मे प्रतिवादी को साबित करने के पक्ष में प्रदर्श 2–3 (संपरिवर्तन आदेश दिनांक 11.09.2012 की छायाप्रति, पटवारी रिपोर्ट दिनांक 07.04.2022) साक्ष्य/सबूत के तौर पर प्रस्तुत किये जो जिम्मे प्रतिवादी तनकी सं0 2 को साबित करते है।

अतः तनकीवार विवेचना के आधार पर वादी द्वारा तनकी सं0 1 को साबित करने में असफल रहने व प्रतिवादी के जिम्मे तनकी सं0 2 साबित हो जाने तथा वादी को वाद–हैतुक प्राप्त होने में भी संशय के कारण प्रस्तुत वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। उभयपक्षकारान अपना–अपना वाद खर्च वहन करें। पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल–दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)